



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142 ]  
No. 142 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2000/फाल्गुन 16, 1921  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2000/PHALGUNA 16, 1921

जल, भूतल परिवहन मंत्रालय

( सड़क पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

का. आ. 195(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956  
§ 1956 का 48§ की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत  
सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना  
सं० एस आर ओ 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

§ क § क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित  
क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1.	2.	3.
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4, सं० 7 § § 447.000 से 464.000 कि.मी. § नागपुर-हैदराबाद § और 22.300 से 34.800 कि.मी. § हैदराबाद- बंगलौर § तक छोड़ कर § सं० 9 § विजयवाड़ा से मउलीपट्टनम खंड सहित § § § 217.0 से 265.0 कि.मी. § नन्दीगाम से विजयवाड़ा § तक छोड़कर § §, सं० 16, सं० 43, सं० 63, सं० 202 और सं० 205 का आंध्र प्रदेश में स्थित खंड और रा० रा० 18	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार

§ख§ क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित

क्रम सं. और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31, 31 सी, 54§§नौगाँव से सिल्चर खंड सहित§§, 61, 36, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52 बी, 53 और 62 का असम राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बी, 37§§156. 500 से 164. 395 कि.मी. गुवाहाटी बाइपास को छोड़कर§§, 37 ए और 38	असम राज्य सरकार
2ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 52 और 52 ए का अरुणाचल राज्य में स्थित खंड ।	अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार
2 बी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 39, 53 और 150 §येगांगपोक्सी-तीपेइमुख में मणिपुर/मिजोरम सीमा तक का खंड§ का मणिपुर राज्य में स्थित खंड ।	मणिपुर राज्य सरकार
2 सी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 40 §डावकी से जोवाइ खंड सहित§, 44, 51, 62 §वाघमारा से दालू खंड सहित§ का मेघालय राज्य में स्थित खंड	मेघालय राज्य सरकार
2 डी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 54, 44 ए और 150 का मिजोरम में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 54 ए और 54 बी	मिजोरम राज्य सरकार
2 ई	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 36, 39 और 61 का नागालैंड राज्य में स्थित खंड ।	नागालैंड राज्य सरकार
2 एफ	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 और 44 ए का त्रिपुरा राज्य में स्थित खंड ।	त्रिपुरा राज्य सरकार

§ग§ क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

- 
- "3 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6, 19, 23, 28, 31 § § 410.000 से बिहार  
419.000 और 470.00 से 476.150 कि.मी. राज्य सरकार"  
§पूर्णिया-गोयरकाटा§ को छोड़कर §, 32, 78, 80 और  
81 का बिहार राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय  
राजमार्ग सं० 28 ए, 30, 33, 57, 30 ए, 77, 82,  
83, 84 और 85
- 

§घ§ क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

- 
- "4 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 § मुम्बई के लिए रा. रा. 4 के महाराष्ट्र  
साथ चौराहे से 561.0 से 585.0 कि.मी. को छोड़कर §, राज्य सरकार  
6 § धुले से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा तक के खंड सहित §,  
§ § 149.80 से 166.0 कि.मी. § अमरावती बाइपास §  
को छोड़कर § §, 7 § § 9.200 से 22.850 और 24.650 से  
36.600 कि.मी. § नागपुर-अदीलाबाद § को छोड़कर §,  
9, 13, 16, 17 और 69 का महाराष्ट्र राज्य में स्थित  
खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 बी, 50, 204 और 211
- 

- 4 ए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 14 § § 340.0 से 350.0 कि.मी. गुजरात राज्य  
आब् रोड-डीसा तक छोड़कर § §, 15 और 59 का सरकार  
गुजरात राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग  
सं० 8 ए § कंडला से मांडवी खंड सहित §, 8 बी, 8 सी  
और 8 डी ।
- 

§ड. § क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

- 
- "5 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 ए का जम्मू के समीप लगभग जम्मू एवं कश्मीर  
125 मील से उरी तक जिसमें जवाहर सुरंग शामिल राज्य सरकार  
नहीं है और उसके पहुंच मार्ग का जम्मू और काश्मीर  
राज्य में स्थित हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 बी  
§ किश्तवाड़ से स्यामथन पास के खंड सहित § तथा  
सं० 1 सी
-

§च§ क्रम सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

---

6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17, 47, 49, 208, 212 का केरल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 ए और 213	केरल राज्य सरकार"
---	--	-------------------

---

§छ§ क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

---

7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3§§60.000 से 70.000 कि.मी. आगरा-ग्वालियर§§, 6§308.6 से 323.6 कि.मी. दुर्ग बाइपास को छोड़कर§, 7, 25, 26, 27, 43, 12, 16, 69, 59, 202, 78, 75, 200, 79 और 76 का मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंड	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"
---	--	--------------------------

---

§ज§ क्रम सं० 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

---

8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4§0.0 से 103.0 कि.मी. चेन्नै से रानीपेत§ को छोड़कर§, सं० 7 §§134.00 से 141.00 और 156.00 से 163.400 कि.मी. कृष्णागिरी-सलेम-मदुरै को छोड़कर§§ §33.0 से 94.0 §हासूर से कृष्णागिरि§ को छोड़कर§§ और 45 ए §§नागपट्टीनम तक तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा तक के खंड सहित§§, 47, 49, 66, 205, 207, 208 और 209 का तमिलनाडु राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7ए, 67, 68, 45 बी और 210	तमिलनाडु राज्य सरकार"
---	---	-----------------------

---



---

8 ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 ए §पांडिचेरी से नागपट्टीनम की ओर पांडिचेरी/तमिलनाडु सीमा तक के खंड सहित§§ और 66 का संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में स्थित खंड ।	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार"
-----	--	---------------------------------------

---

§ ३३ § क्रम सं० ९ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

---

" ९	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ४ § ०.० से ५९२.० कि.मी. § बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा § तक छोड़कर §, सं० ४ ए, ७ § ५२४.०० से ५२७.००, ५३५.०० से ५३८.०० और ५३८.०० से ५३९.०० कि.मी., हैदराबाद-बंगलौर खंड को छोड़कर § § ०.० से ३३.०० कि.मी. § बंगलौर से कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा को छोड़कर §, ९, १३ § चित्रदुर्ग से मंगलौर खंड सहित §, १७, ६३, २०७, २०९ और २१२ का कर्नाटक राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ४८ और २०६	कर्नाटक राज्य सरकार"
-----	--	----------------------

---

९ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ४ए, १७ का गोवा राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १७ ए और १७ बी	गोवा राज्य सरकार"
----	--	-------------------

---

§ ३४ § क्रम सं० १० और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

---

" १०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५ § २३३ से ४१८ कि.मी. तक आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर तक छोड़कर § § ०.० से २००.०० कि.मी. भुवनेश्वर से बालासोर §, सं० ६, २३, ४३, ६० और २०० का उड़ीसा में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ५ए, ४२, २०१, २०३ और २१५	उड़ीसा राज्य सरकार"
------	--	---------------------

---

§ ३५ § क्रम सं० ११ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

---

" ११	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १ § ३७२.०० से ३८७.१०० कि.मी. तक जालंधर बाइपास को छोड़कर § §, १ ए, १०, १५, २०, २१, २२, ७० और ७१ का पंजाब राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ६४ § भटिण्डा से डबवाली खंड सहित § ।	पंजाब राज्य सरकार"
------	---	--------------------

---

॥ ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १ §§ 29.300 से 44.300 कि. मी. दिल्ली/हरियाणा सीमा से समालखा खंड को छोड़कर §§, सं० 10, 22, 65, 21ए, 72, 73 और 71 का हरियाणा राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 71 ए	हरियाणा राज्य सरकार
-----	---	---------------------

॥ बी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १ ए, 20, 21, 22, 21ए, 72, और 70 का हिमाचल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 88	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
------	--	---------------------------

॥ सी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १ §§ 8.200 से 16.200 कि. मी. दिल्ली मजन् का टीला के समीप §§ से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक छोड़कर §§, सं० 10, 24 का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित खंड ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
------	--	---

॥ डी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 21 का संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थित खंड	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की सरकार
------	--	------------------------------------

§ 88 क्रम सं० 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

" 12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 §§ 41.000 से 51.000 आगरा-धौलपुर खंड को छोड़कर §§, सं० 11, 12, 14, 15 और 65 फतेहपुर से पाली खंड सहित §§, सं० 79, 76 का राजस्थान राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ११ ए	राजस्थान राज्य सरकार
------	---	----------------------

§ ड § क्रम सं० 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

---

* 13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 § § 8.000 से 24.00 कि.मी. आगरा-ग्वालियर खंड को छोड़कर § §, 7, 11, 19, 24 § 27.62 से 59.0 कि.मी. हापुड़ बाइपास सहित § गाजियाबाद-हापुड़ खंड को छोड़कर § तथा 148.43 से 166.65 कि.मी. § मुरादाबाद बाइपास § को छोड़कर §, 25 § § 59.500 से 75.500 और 11.380 से 21.800 कि.मी. लखनऊ-कानपुर खंड को छोड़कर § §, सं० 26, 28, 72, 73, 75 और 76 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 29, 56, 58 और 74	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"
------	---	---------------------------

---

§ ट § क्रम सं० 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

---

* 14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6-§ 0.0 से 136.0 कि.मी. § कलकत्ता से खड़गपुर § खंड को छोड़कर §, 31 § § 447 से 470 कि.मी. एवं 476.150 से 500, डलखोला से इस्लामपुर उपखंड 1 एवं 2 को छोड़कर § §, 31 ए, 31 सी, 32 और 60 § खड़गपुर से आसनसोल खंड सहित § का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34, 35, 41 और 55	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार
------	---	--------------------------

---

14ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 ए का सिक्किम राज्य में स्थित खंड ।	सिक्किम राज्य सरकार"
-----	--	----------------------

---

[ फा० सं० एन एच-14019/3/99-पी एल ]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

नोट:— मूल अधिसूचना दिनांक 4.4.1957 को एस आर ओ 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 1.12.1998 के का.आ. 1024 § अ § और दि० 4.2.1999 के का.आ. 77 § अ § द्वारा संशोधित की गई थी ।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

S.O. 195(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport No.S.R.O.1181 dated the 4<sup>th</sup> April 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(a) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"1	So much of National Highways No.4, No.7 [(excluding from Km.447.000 to Km.464.000 (Nagpur-Hyderabad) and from Km.22.300 to Km.34.800 (Hyderabad-Bangalore)], No.9 [(including portion from Vijayawada to Machilipatnam)] [(excluding from 217.0 Km to 265.0 Km (Nandigama to Vijayawada)], No.16, No.43, No.63, No.202 and No.205 as are situated within the State of Andhra Pradesh and NH-18	State Government of Andhra Pradesh";

(b) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"2	So much of National Highways No.31, No.31C, No.54 [(including portion from Nagoan to Silchar)], No.61, No.36, No.39, No.44, No.51, No.52, No.52A, No.52B, No.53 and No.62 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 [(excluding from Km.156.500 to Km.164.395 Guwahati Bypass)], No.37A and No.38.	State Government of Assam
2A	So much of National Highways No.52, and No.52A as are situated within the State of Arunachal Pradesh.	State Government of Arunachal Pradesh
2B	So much of National Highways No.39, No.53, and No.150 (the portion from Yaingangpokpi-Manipur/Mizoram Border at Tipaimukh) as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur
2C	So much of National Highways No.40 (including portion from Dawki to Jowai), No.44, No.51, No.62 (including portion from Baghmara to Dalu) as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya
2D	So much of National Highways No.54, No.44A, and No.150 as are situated within the State of Mizoram and National Highways No.54A and No.54B.	State Government of Mizoram
2E	So much of National Highways No.36, No.39 and No.61 as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland
2F	So much of National Highways No.44, No.44A, as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura";



(c) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"3	So much of National Highways No.6, No.19, No.23, No.28, No.31, [(excluding from Km.410.000 to Km.419.000 & Km.470.000 to Km.476.150 (Purnea-Goyerkata)], No.32, No.78, No.80 and No.81as are situated within the State of Bihar and National Highways No.28A, No.30, No.33, No.57, No.30A, No.77, No.82, No. 83, No. 84 and No. 85.	State Government of Bihar";
----	---	-----------------------------

(d) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 (including portion from Dhule to Maharashtra/Gujarat border), [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No.7 [(excluding from Km.9.200 to Km.22.850 and of Km.24.650 to Km.36.600 Nagpur-Adilabad)], No.9, No.13, No.16, No.17 and No.69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No.4B No.50, No.204 and No.211.	State Government of Maharashtra
4A	So much of National Highways No.14 [(excluding from Km.340.000 to Km.350.000 Abu Road – Deesa)], No.15 and No.59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No.8A (including portion from Kandla to Mandvi), No.8B No.8C and No.8D.	State Government of Gujarat";

(e) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"5	National Highways No.1A from approx. mile 125 (from Jalandhar) near Jammu and upto Uri except the Jawahar Tunnel and the approach road thereto as is situated within the State of Jammu and Kashmir and National Highways No., 1B (including portion from Kishtwar to Symthan pass and No.1C.	State Government of Jammu & Kashmir";
----	---	---------------------------------------

(f) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6	So much of National Highways No.17, No.47, No.49, No.208, No.212 as are situated within the State of Kerala and National Highways No., 47A and No.213.	State Government of Kerala";
----	--	------------------------------

(g) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"7	So much of National Highways No.3 [(excluding from Km.60.000 to Km.70.000 Agra-Gwalior)], No.6, (excluding from Km 308.6 to Km 323.6, Durg bypass) No.7, No.25, No.26, No.27, No.43, No.12, No.16, No.69, No.59, No.202, No.78, No.75, No.200, No.79, and No.76 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh";
----	---	--------------------------------------

(h) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"8	So much of National Highways No.4 [excluding from Km 0.0 to Km 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No.7 [(excluding from Km.134.000 to Km.141.000 & Km.156.000 to Km.163.400, Krishnagiri-Salem-Madurai)] [excluding from Km 33.0 to Km 94.0 (Hosur to Krishnagiri)], and No.45A [(Including portion from Tamil Nadu/Pondicherry border to Nagapattinam)], No.47 No.49, No.66, No.205, No.207, No.208 and No.209 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No.7A, No.67, No.68, No.45B and No.210.	State Government of Tamil Nadu
8A	So much of National Highways No.45A [including portion Pondicherry to Pondicherry/Tamil Nadu border on Nagapattinam side and No.66 as are situated within the Union Territory of Pondicherry.	Government of Union Territory of Pondicherry";

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9	So much of National Highways No.4 [excluding from Km 0.0 to Km 592.0 (from Bangalore to Karnataka/Maharashtra border)], No.4A, No.7 [(excluding from Km.524.000 to Km.527.000, Km.535.000 to Km.538.000 and Km.538.000 to Km.539.000 Hyderabad-Bangalore)] [excluding from Km 0.0 to Km 33.0 (from Bangalore to Karnataka/Tamil Nadu Border)], No.9, No.13 [(including portion from Chitradurga to Mangalore)], No.17 No.63, No.207, No.209 and No.212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No.48 and No.206.	State Government of Karnataka
9A	So much of National Highways No.4A, No.17 as are situated within the State of Goa and National Highway No.17A and No.17B.	State Government of Goa";

(j) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"10	So much of National Highways No.5 [(excluding from Km 233 to Km 418 from Andhra Pradesh/Orissa border to Bhubaneshwar)] [(from Km 0.0 to Km 200.0 from Bhubaneshwar to Balasore)], No.6, No.23, No.43, No.60 and No.200 as are situated within the State of Orissa and National Highways No.5A, No.42, No.201, No.203 and No.215.	State Government of Orissa";
-----	---	------------------------------

(k) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"11	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.372.700 to Km.387.100 forming Jalandhar Bypass)], No.1A, No.10, No.15, No.20, No.21, No.22, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highway No.64 (including portion from Bhatinda to Dabwali).	State Government of Punjab
11A	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.29.300 to Km.44.300 forming Delhi/Haryana Border to Samalkha)], No.10, No.22, No.65, No.21A, No.72, No.73 and No.71 as are situated within the State of Haryana and National Highway No.71A.	State Government of Haryana
11B	So much of National Highways No.1A, No.20, No.21, No.22, No.21A, No.72 and No.70 as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No.88.	State Government of Himachal Pradesh
11C	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.8.200 to Km.16.200 forming Delhi (Near Majnu Ka Tila) to Delhi/Haryana border)], No.10 and No.24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi
11D	So much of National Highways No.21 as is situated within the Union Territory of Chandigarh	Government of Union Territory of Chandigarh";

(l) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"12	So much of National Highways No.3 [(excluding from Km.41.000 to Km.51.000 Agra-Dholpur)], No.11, No.12, No.14, No.15, No.65 (including portion from Fatehpur to Pali), No.79, No.76 as are situated within the State of Rajasthan and National Highway No.11A.	State Government of Rajasthan";
-----	--	---------------------------------

(m) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"13	So much of National Highways No.3 [(excluding from Km.8.000 to Km.24.00 Agra-Gwalior)], No.7, No.11, No.19, No.24 [excluding from Km 27.62 to Km 59.0 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km 148.43 to Km 166.65 (Moradabad bypass)] No.25 [(excluding from Km.59.500 to Km.75.500 and Km.11.380 to Km.21.800 Lucknow-Kanpur)], No.26, No.28, No.72, No.73, No.75 and No.76 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No.29, No.56, No.58 and No.74.	State Government of Uttar Pradesh";
-----	--	-------------------------------------

(n) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"14	So much of National Highways No.6 [excluding from Km 0.0 to Km 136.0 (from Calcutta to Kharagpur)], No.31 [(excluding from Km.447 to Km.470 & Km.476.150 to Km.500 Dalkhola to Islamapore sub-section 1 & 2)], No.31A, No.31C, No.32 and No.60 [including portion from Kharagpur to Asansol) as are situated within the State of West Bengal and National Highways No.34, No.35, No.41 and No.55.	State Government of West Bengal
14A	So much of National Highway No.31A as is situated in the State of Sikkim.	State Government of Sikkim".

[F. No. NH-14019/3/99-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No.S.R.O. 1181 dated 4.4.1957 and last amended vide S.O.1024(E) dated 1 12.1998 and SO 77(E) dated 4 2 1999.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000.

का. आ. 196(अ).— केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के सामने उक्त तालिका के कालम (2) में यथा उल्लिखित संगत खंडों के उक्त तालिका के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

## तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भाग किलोमीटर में
1.	2.	3.
1	जालंधर बाइपास ( पंजाब राज्य में )	372.700 कि०मी० से 387.100 कि०मी० तक
1	दिल्ली /हरियाणा सीमा से समालखा ( हरियाणा राज्य में )	29.300 कि०मी० से 44.300 कि०मी० तक
1	दिल्ली (मंजु का टीला के समीप ) दिल्ली/हरियाणा सीमा खंड ( दिल्ली राज्य में )	8.200 कि०मी० से 16.200 कि०मी० तक
3	आगरा-ग्वालियर खंड ( उत्तर प्रदेश राज्य में )	8.000 कि०मी० से 24.000 कि०मी० तक
3	आगरा-धौलपुर खंड ( राजस्थान राज्य में )	41.000 कि०मी० से 51.000 कि०मी० तक

3	आगरा-ग्वालियर खंड ( मुरैना की ओर चम्बल सीमा ) ( मध्यप्रदेश राज्य में )	60.000 कि०मी० से 70.000 कि०मी० तक
7	नागपुर-अदीलाबाद खंड ( महाराष्ट्र राज्य में )	9.200 कि०मी० से 22.850 कि०मी० तक और 24.650 कि०मी० से 36.600 कि०मी० तक
7	नागपुर-हैदराबाद खंड ( आंध्र प्रदेश राज्य में )	447.000 कि०मी० से 464.000 कि०मी० तक
7	हैदराबाद -बंगलौर खंड ( आंध्र प्रदेश राज्य में )	22.300 कि०मी० से 34.800 कि०मी० तक
7	हैदराबाद-बंगलौर खंड ( कर्नाटक राज्य में )	524.000 कि०मी० से 527.000 कि०मी० , 535.000 कि०मी० से 538.000 कि०मी० और 538.000 कि०मी० से 539.000 कि०मी० तक
7	कृष्णागिरि-सलेम-मदुरै खंड ( तमिलनाडू राज्य में )	134.000 कि०मी० से 141.000 कि०मी० तक
7	बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड ( तमिलनाडू राज्य में )	156.000 कि०मी० से 163.400 कि०मी० तक
14	आबू रोड-दीशा खंड ( गुजरात राज्य में )	340.000 कि०मी० से 350.000 कि०मी० तक
25	लखनऊ-कानपुर खंड ( उत्तर प्रदेश राज्य में )	11.380 कि०मी० से 21.800 कि०मी० तक
25	लखनऊ-कानपुर खंड ( उत्तर प्रदेश राज्य में )	59.500 कि०मी० से 75.500 कि०मी० तक
31	डलखोला से इस्लामपुर उप-खंड-1 ( पश्चिम बंगाल राज्य में )	447 कि० मी० से 470 कि० मी० तक
31	डलखोला से इस्लामपुर उप-खंड-2 ( पश्चिम बंगाल राज्य में )	476.150 कि०मी० से 500 कि०मी० तक
31	पूर्णिमा-गोयरकाटा खंड ( बिहार राज्य में )	410.000 कि०मी० से 419.000 कि०मी० और 470.000 कि०मी० से 476.150 कि०मी० तक
37	गोवाहाटी बाइपास खंड ( असम राज्य में )	156.500 कि०मी० से 164.395 कि०मी० तक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

S.O. 196(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the Table, aforesaid to the National Highway Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in kilometer
(1)	(2)	(3)
1	Jalandhar Bypass (in the state of Punjab)	Km.372.700 to Km.387.100
1	Delhi/Haryana Border to Samalkha (in the State of Haryana)	Km.29.300 to Km.44.300
1	Delhi (Near Majnu Ka Tila) to Delhi/Haryana Border Section (in the State of Delhi)	Km.8.200 to Km.16.200
3	Agra-Gwalior Section (in the State of Uttar Pradesh)	Km.8.000 to Km.24.000
3	Agra-Dholpur Section (in the State of Rajasthan)	Km.41.000 to Km.51.000
3	Agra-Gwalior Section (Chambal border towards Morena) (in the State of Madhya Pradesh)	Km.60.000 to Km.70.000
7	Nagpur-Adilabad Section (in the State of Maharashtra)	Km.9.200 to Km.22.850 and of Km.24.650 to Km.36.600
7	Nagpur-Hyderabad Section (in the State of Andhra Pradesh)	Km.447.000 to Km.464.000
7	Hyderabad-Bangalore Section (in the State of Andhra Pradesh)	Km.22.300 to Km.34.800
7	Hyderabad-Bangalore Section (in the State of Karnataka)	Km.524.000 to Km.527.000, Km.535.000 to Km.538.000 and Km.538.000 to Km.539.000
7	Krishnagiri-Salem-Madurai Section (in the State of Tamil Nadu)	Km.134.000 to Km.141.000
7	Bangalore-Salem-Madurai Section (in the State of Tamil Nadu)	Km.156.000 to Km.163.400
14	Abu Road – Deesa Section (in the State of Gujarat)	Km.340.000 to Km.350.000
25	Lucknow-Kanpur Section (in the State of Uttar Pradesh)	Km.11.380 to Km.21.800

25	Lucknow-Kanpur Section (in the State of Uttar Pradesh)	Km.59.500 to Km.75.500
31	Dalkhola to Islampore sub-section 1 (in the State of West Bengal)	Km.447 to Km.470
31	Dalkhola to Islampore sub-section 2 (in the State of West Bengal)	Km.476.150 to Km.500
31	Purnea-Goyerkata Section (in the State of Bihar)	Km.410.000 to Km.419.000 and Km.470.000 to Km.476.150
37	Guwahati Bypass Section (In the State of Assam)	Km.158.500 to Km.164.395

[F. No. NH-14019/3/99-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) &amp; Addl. Secy.